बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सं०सं०–पि०व०/4/वि० यो०–22–02/2022– 900.

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना दिनांक– 22/07/2025

विषयः– वित्तीय वर्ष 2022–23 में मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजनान्तर्गत Lalit Narayan Mishra Economic Development and Social Change Bihar, Patna में प्रबंधन प्रवेश परीक्षा यथा कैट, मैट आदि तथा प्रबंधन से संबंधित रोजगार परक (Job oriented) प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क तैयारी कराने हेतु स्वीकृत ''व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केन्द्र'' के संचालन की विस्तारित अवधि वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 को पुनः विस्तारित करते हुए वित्तीय वर्ष 2025–26 में वार्षिक व्यय रू0 19,84,700/- (रू0 उन्नीस लाख चौरासी हजार सात सौ) मात्र पर संचालन की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

2– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–1202, दिनांक–25.05.2022 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजनान्तर्गत Lalit Narayan Mishra Economic Development and Social Change Bihar, Patna में प्रबंधन प्रवेश परीक्षा यथा कैट, मैट आदि तथा प्रबंधन से संबंधित रोजगार परक (Job oriented) प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क तैयारी कराने हेतु एक ''व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केन्द्र'' के संचालन, दिशा–निर्देश एवं केन्द्र संचालन पर होने वाले वार्षिक व्यय रू0 24,54,700/–(रू0 चौबीस लाख चौवन हजार सात सौ) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई है। पुनः विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–60 दिनांक–22.05.2023 तथा पुनः विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–63 दिनांक–23.10.2024 के द्वारा क्रमशः वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 में भी उक्त केन्द्र का संचालन करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

3–विभागीय संकल्प संख्या–649, दिनांक–16.03.2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 से राज्य योजनान्तर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना में प्रबंधन प्रवेश परीक्षा यथा– कैट, मैट आदि तथा प्रबंधन से संबंधित रोजगार परक (Job oriented) प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी एवं चाणक्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में विधि पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा यथा– क्लैट तथा न्यायिक सेवाओं की निःशुल्क तैयारी कराने हेतु ''मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजना'' संचालित करने, योजना हेतु दिशा–निर्देश, पदों के सृजन एवं योजना पर होने वाले वार्षिक व्यय रू0 45,69,400/– (रू0 पैंतालीस लाख उनहत्तर हजार चार सौ) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

4–उपर्युक्त के आलोक में वर्तमान में प्रबंधन प्रवेश परीक्षा एवं प्रबंधन से संबंधित रोजगार परक (Job oriented) प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क तैयारी कराने हेतु राज्य के अंतर्गत एक मात्र केन्द्र चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना रह जाता है।

5–अतः सम्यक् विचारोपरांत वित्तीय वर्ष 2022–23 में मुख्यमंत्री व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण योजनान्तर्गत Lalit Narayan Mishra Economic Development and Social Change Bihar, Patna में प्रबंधन प्रवेश परीक्षा यथा कैट, मैट आदि तथा प्रबंधन से संबंधित रोजगार परक (Job oriented) प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क तैयारी कराने हेतु स्वीकृत ''व्यवसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केन्द्र'' के संचालन की विस्तारित अवधि वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 को पुनः विस्तारित करते हुए वित्तीय वर्ष 2025–26 में वार्षिक व्यय रू0 19,84,700/- (रू0 उन्नीस लाख चौरासी हजार सात सौ) मात्र पर संचालन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Scanned with OKEN Scanner

6–योजना के संबध में निर्धारित दिशा–निर्देश एवं संक्षिप्त टिप्पणी:–

(क) केन्द्र का वार्षिक कार्यक्रम:– केन्द्र पर 60–60 विद्यार्थियों के दो–दो बैच (प्रशिक्षण अवधि 6–6 माह) संचालित कराये जायेंगे। इस प्रकार एक वर्ष में केन्द्र पर 240 विद्यार्थियों को प्रबंधन प्रवेश परीक्षा यथा कैट, मैट आदि तथा प्रबंधन से संबंधित रोजगार परक (Job oriented) प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करायी जाएगी।

(ख) कार्यान्वयन एजेंसी:– उक्त केन्द्र का संचालन संबंधित संस्थान द्वारा जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी के समन्वय तथा इसका पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना के द्वारा किया जायेगा।

(ग) पात्रता:–

(i) उक्त कार्यक्रम के लिए कुल उपलब्ध आसन में से 40% (24 आसन) पिछड़ा वर्ग तथा 60% (36 आसन) अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए अनुमान्य होंगे, किसी एक कोटि के छात्र/छात्राओं की अनुपलब्धता की स्थिति में दूसरे कोटि के छात्र/छात्राओं का नामांकन किया जा सकता है। उपर्युक्त दोनों कोटि में छात्राओं के लिए 33 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा।

(ii) छात्र/छात्रा की आयु सीमा एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता के अनुरूप होनी चाहिए।

(iii) बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।

(iv) जाति–पिछड़ा वर्ग अथवा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत होना चाहिए।

(v) छात्र/छात्रा की आय सहित उनके अभिभावक की अधिकतम वार्षिक आय सभी स्त्रोतों को मिलाकर रू0 3,00,000/– (रू0 तीन लाख) होनी चाहिए।

(घ) प्रशिक्षण अवधि :– प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम की अधिकतम अवधि 6 माह की होगी।

(ङ) उपर्युक्त कंडिका–(क) से (घ) के अन्तर्गत उल्लेखित दिशा–निर्देशों में समय–समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन माननीय मंत्री के अनुमोदन से किया जा सकता है।

(च) केन्द्र संचालन हेतु प्रति विद्यार्थी एक वर्ष में रू0 8270/– का व्यय अनुमानित है। प्रस्तावित केन्द्र का मदवार अनुमानित व्यय विवरणी निम्नरूपेण है:–

(राशि रू0 में)

क्र0सं0	मद	दर प्रतिमाह	वार्षिक व्यय
1	निदेशक का मानदेय	रू0 5000/–	रू0 60000/–
2	शिक्षकों का मानदेय	रू0 1000/– प्रतिकक्षा X प्रतिदिन 4 कक्षा X 24 दिन = रू0 96000/–	रू0 1152000/–
3	कम्प्यूटर ऑपरेटर का पारिश्रमिक(01)	रू0 13225/–	रू0 158700/–
4	भंडार–सह–लिपिक का पारिश्रमिक(01)	रू0 15000/–	रू0 180000/–
5	कार्यालय उपस्कर मेनटेनेन्स	–	रू0 50000/–
6	कार्यालय व्यय	रू0 30000/–	रू0 360000/–
7	दूरभाष	रू0 2000/–	रू0 24000/–
	कुल योग–		रू0 1984700/–

विदित हो कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में उक्त केन्द्र के संचालन हेतु उपस्कर एवं ऑनलाईन स्मार्ट क्लास हेतु एकमुश्त रू0 4,70,000 (रू0 चार लाख सत्तर हजार) मात्र की स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि आवंटित की जा चुकी है। अतः वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में पुनः उपस्कर एवं ऑनलाईन स्मार्ट क्लास हेतु पुनः क्रय की आवश्यकता नहीं है एवं उक्त सामग्रियों का संबंधित कार्यों हेतु उपयोग किया जा सकेगा।

(छ) निदेशक का पद पदेन होगा, जो संबद्ध विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के शिक्षक होंगे। केन्द्र में शिक्षण कार्य हेतु योग्य एवं विशेषज्ञ के शिक्षकों की सेवा ली जा सकेगी। स्थानीय शिक्षक की अनुपलब्धता की स्थिति में उक्त निर्धारित दर पर ही ऑनलाईन शिक्षक की सेवा ली जा सकेगी। कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं भंडारपाल–सह–लिपिक की सेवा आउटसोर्सिंग के आधार पर ली जायेगी।

7–स्वीकृत व्यय भार बजट शीर्ष माँग संख्या–11 मुख्यशीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष 03– पिछड़े वर्गों का कल्याण,

Scanned with OKEN Scanner

लघु शीर्ष 277—शिक्षा—उप शीर्ष 0101—शिक्षा —विषय शीर्ष —1301—कार्यालय व्यय एवं 2802—संविदा सेवाएँ विपत्र कोड संख्या—11—2225032770101 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

8. प्रस्ताव पर विभागीय स्थायी वित्त समिति की अनुशंसा प्राप्त है।
9. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
10. प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
11. इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार को दी जा रही है।
12. कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

अनु0—यथोक्त।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अनिल कुमार ठाकुर),
अपर सचिव।

ज्ञापांक— पि0व0 / 4 / वि0 यो0—22—02 / 2022— 900 पटना, दिनांक— 22/07/2025

प्रतिलिपि—हस्ताक्षरित प्रति प्रभारी पदाधिकारी, ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग को हार्ड कॉपी (दो प्रति) एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर सचिव।

ज्ञापांक— पि0व0 / 4 / वि0 यो0—22—02 / 2022— 900 पटना, दिनांक— 22/07/2025

प्रतिलिपि—मुख्य सचिव, बिहार / विकास आयुक्त, बिहार / सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना / संबंधित जिला पदाधिकारी / निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना / संबधित उप विकास आयुक्त / संबधित कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार सिंचाई भवन, पटना / संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण / संबधित जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर सचिव।

ज्ञापांक— पि0व0 / 4 / विविध—25—01 / 2022— 900 पटना, दिनांक— 22/07/2025

प्रतिलिपि— कुल सचिव, Lalit Narayan Mishra Economic Development and Social Change Bihar, Patna को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव।

ज्ञापांक— पि0व0 / 4 / विविध—25—01 / 2022— 900 पटना, दिनांक— 22/07/2025

प्रतिलिपि— माननीय मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के आप्त सचिव, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव।

ज्ञापांक— पि0व0 / 4 / विविध—25—01 / 2022— 900 पटना, दिनांक— 22/07/2025

प्रतिलिपि— प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव।

ज्ञापांक— पि0व0 / 4 / विविध—25—01 / 2022— 900 पटना, दिनांक— 22/07/2025

प्रतिलिपि— आई0टी0 मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव।

D/Puja Sinha/Sanction Order/Jkt Sanction Order

Scanned with OKEN Scanner